रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1754] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2019/ज्येष्ठ 24, 1941
No. 1754] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2019/JYAISTHA 24, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2019

का.आ. 1962(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (यहां इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3,उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2145 (अ.) के *तहत* जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी त्रिपुरा, अगरतला के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा II की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण त्रिपुरा राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1942 (अ.) के *तहत* श्री बी. मजूमदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी त्रिपुरा, अगरतला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में पिछली बार अधिसूचित किया गया था;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1942 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व निष्पादित कर लिया गया था

अथवा जिनका लोप किया गया था, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की संस्तुति से एतद्द्वारा श्री रवि दहिया, अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला स्थित न्यायिक जिला को उक्त न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा.सं. 11011/02/2019/एनआईए]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2019

S.O. 1962(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2145 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Tripura for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Sh. B. Majumdar, District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala, was last notified as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1942 (E) dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1942 (E) dated the 22nd August, 2012, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Tripura, hereby appoints Sri Ravi Dahiya, Additional Sessions Judge, West Tripura, Judicial District at Agartala, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.15 10:05:12 +05'30'